

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 24 जुलाई, 2015

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6585 / मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2003) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 के पश्चात् प्रभावी होगी।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6586 / अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर पदस्थापित श्री संदीप सिंह, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6587 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री आदित्य कुमार आनन्द को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6588 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी सुश्री आकांक्षा रंजन को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6589 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्रीमती किरण कुमारी पासी को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें सिमडेगा जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6590 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री सूरज कुमार को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआडांड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें लातेहार जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।




संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6591 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री शशि रंजन को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें पाकुड़ जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6592 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें साहेबगंज जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/विधि-827/2015 का० - 6593 / लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के द्वितीय चरण व्यवसायिक प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21.08.2015 की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के पदाधिकारी श्री जीशान कमर को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें दुमका जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


24/7/2015
(चन्द्र भूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विधि-827/2015 का० - 6593 / राँची, दिनांक 24 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखंड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखंड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/7/2015
सरकार के अवर सचिव।